

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 116

दिनांक : 25-4-19

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- Diversion of 2.0 ha of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.


प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं. शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 2.0 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 328200/- रु. केम्पा नई दिल्ली में दिनांक <u>23.4.2019</u> को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदुपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रूपये- (2.0 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1252000/- केम्पा नई दिल्ली में दिनांक <u>23.4.19</u> को चालान द्वारा कार्पोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रमाण-पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बड़ी हुई राशि के मुगत्तान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 4	विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. लिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।
शर्त संख्या 5	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।
शर्त संख्या 6	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।
शर्त संख्या 7	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।	वन विभाग से सम्बन्धित है।

  
(आर.के. सोनी)

अधिशायी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की  
अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

  
(आर.के.सोनी)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

**AGENCY COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**BANK COPY**  
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA  
Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

*Payment done by*  
T.V. No. - 3748  
23/04/19

*(Signature)*  
सहायक अभियंता  
शाहबाद (मि.ज.प.व.)

## AGENCY COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address.	Office of the Executive engineer PWD Division ShahBaran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

## BANK COPY

## NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 18-04-2019

Agency Name.	PUBLIC WORKS DEPARTMENT
Application No.	6169880119
MoEF/SG File No.	8B/RAJ/06/172015
Location.	RAJASTHAN
Address:	Office of the Executive engineer PWD Division Shah Baran
Amount(in Rs)	1580200/-

Amount in Words :Fifteen Lakh Eighty Thousand Two Hundred Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150856169880119 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

T.V.N. - 3748  
23/04/19

उपकायाधिकारी  
शाहाबाद (जिला-बारा)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :


दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (ग)  
की अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धन  
राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

  
(अशोक सनादय)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

  
(आर.के.सोनी)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4 फीट ऊंचे आर.सी.सी. पीलरों से किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी.जी.पी.एस. निर्देशांक Backword and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलरों से दूरी दर्शायी जाएगी।

  
(आर.के.सोनी)  
अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की  
अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति  
से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उलंघन नहीं किया जायेगा।

  
(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 6 की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।



(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां


क्रमांक :

दिनांक : 25.04.2019

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- BT Road From Ramgarh Kalapatta Road to Karwala Laxmipura  
under RRSMP Proposal No. FP/RJ/Road/6988/2014 (2.0 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि रामगढ़ - काला पट्टा रोड से करवरा-लक्ष्मीपुरा सड़क भराव (Embankment) में बनायी जावेगी। सड़क निर्माण में किसी तरह का मक उत्पादित नहीं होगा। अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तानुसार मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

  
(आर.के.सोनी)

अधिशाषी अभियन्ता  
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

# कार्यालय जिला कलक्टर, बारा (राजस्थान)

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 200-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

- आदेश :-

अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा द्वारा प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण में आने वाली वन भूमि के एवज में 102.34 हे० गैर वन भूमि आरक्षित किये जाने हेतु मांग किये जाने पर उक्त प्रयोजनार्थ तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रस्तावित एवं उप वन संरक्षक, बारा के पत्र क्रमांक 14073 दिनांक 12.09.2014 से प्राप्त सहमति के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/5814-20 दिनांक 16.09.2014 से निम्नलिखित भूमियां वन विभाग के नाम आरक्षित (सेट-अपाट) की गई हैं।

उप वन संरक्षक, बारा द्वारा पत्र क्रमांक एफ( )एफ.सी.ए./उवस/14-15/16782 दिनांक 10.10.2014 से उक्त आरक्षित भूमि को वन विभाग के नाम आवंटन करने की मांग करने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/एफ-4(5)(30)राजस्व/2014/ 6528-29 दिनांक 21.10.2014 से प्रकरण राजकीय स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने पर श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक : 2(266)राज.-3/14 दिनांक 12.02.15 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित आरक्षित भूमियों को वन विभाग के नाम आवंटन किया जाता है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा न०	एकबा (हे०)	भूमि की किस्म
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20	बंजड
			41	5.00	बंजड
			42	6.52	बंजड
			114	5.80	गैर मुमकिन बरडा
			115	9.56	गैर मुमकिन बरडा
			116	7.70	बंजड
			138	10.81	बंजड
			149	3.63	बंजड
2	सौरसन	8 किता	62.24		
		1175	19.76	गैर मुमकिन बरडा	
		1173	19.15	गैर मुमकिन बरडा	
3	ताखा	2 किता	38.91		
		368	2.25	गैर मुमकिन बरडा	
	कुल योग	11 किता	103.40 हे०		

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद किया जावे।

(डॉ. एस. पी. सिंह)  
जिला कलक्टर  
बारा

क्रमांक:- एफ-4(5)(30) राजस्व/2014/ 200-26

दिनांक:- 7 फरवरी, 2017

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।।

1. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त, बारा।
4. उपखण्ड अधिकारी, अन्ता।
5. तहसीलदार अन्ता को भेजकर लेख है कि आरक्षित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अगल दरामद कर पालना भिजवावे।
6. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, बारा।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर  
बारा

Land to be allotted to Forest Department

21/09/14  
15/9

PWD circle Baran

As on 11.09.2014

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hectare)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Old Cases						
1	Chhabra	Chipabarod	PMGSY	पाटरी से मटगाव		18
2	Shahbad	Shahbad	PMGSY	मामोनी से मोहनपुर योग	1.50	
					2.60	
					4.10	
New Cases						
1	Chhabra	Chhabra	5054 / RURAL ROAD	हिगलोट से मटनाखेड़ी वाया हरिपुरा	3.00	
2	Chhabra	Chhabra	5054/ SHW	कोटा घरनावदा सड़क	13.58	
3	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	खल्दा से खल्दी	0.61	
4	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	कदीली से लाटखेड़ा ✓	3.20	
5	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	माघोपुरा से जंतपुरा ✓	4.00	
6	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	दिकोनिया से तलावड़ा ✓	7.50	
7	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	नेहरूपुरा से डिली ✓	4.00	
8	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	बिची से रामपुर उपरेटी	2.50	
9	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	एन.एच-76 किमी. 573/0 से मुआ ✓	2.60	
10	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर से बरारा	0.55	
11	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVII (Missing Link)	गरडा से जैसवा ✓	4.00	
12	Shahbad	<del>Kishanganj</del> S.B.D Kishanganj	RIDF-XVII (RSAMB)	करवाथाना से बमनगंवा ✓	5.20	
13	Shahbad	Shahbad	RRSMP	उनी केदारकुई से सिलोरा ✓	3.00	
14	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	ख्यावदा से हरिपुरा ✓	1.00	
15	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	जलवाड़ा से किरानपुरा ✓	3.00	
16	Shahbad	Kishanganj	RIDF-XVIII (VC)	गोरधनपुरा से घट्टा ✓	0.50	
17	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	खण्डेला से हलावनी ✓	2.00	
18	Shahbad	Shahbad	RRSMP	बीलखेड़ा डांग से पाटन ✓	1.00	
19	Shahbad	Shahbad	RRSMP	केदारकुई से मुहाल ✓	7.00	
20	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	भंवरगढ से रनवासी ✓	2.50	
21	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	रनवासी से रनवासा ✓	0.80	
22	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	गोरधनपुरा से कालीमाटी ✓	3.00	
23	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	सामगढ काला पट्टा सड़क किमी. 2/500 से करवाला लक्ष्मीपुरा ✓	2.00	
24	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	करवरी खुर्द से बामनदेह ✓	4.20	
25	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	लकड़ाई से मामली वाया दुर्जनपुरा ✓	1.00	
26	Shahbad	Kishanganj	RRSMP	मामली लक्ष्मीपुरा पटपडी सड़क ✓	3.00	
27	Shahbad	Shahbad	RIDF-XVIII (VC)	राजपुर गुण्डियर सड़क (रामपुर उपरेटी) से ईसाटोरी ✓	4.00	
28	NH Division	Atru		कवाई	3.25	

S. No.	Name Of Division	Name Of Tehsil	Name of Scheme	Name of Road	Area to be allotted to Forest Department (in hactare)	Remark
1	2		3	4	6	18
29	NH Division	Atru		खेडली गादिया		
30	NH Division	Atru		सिंगनी जागीर	1.02	
31	NH Division	Chipabarod		बरडावदा	1.21	
32	NH Division	Chipabarod		कालपा जागीर	0.44	
33	NH Division	Chipabarod		नयापुरा	1.66	
				योग	4.92	
				कुल योग	98.24	
					102.34	

*[Handwritten Signature]*

(सुमेल भादूर)  
अधीक्षक अभियंता  
साठनिगमि वृत्त बीरा

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता


प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सडक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम तालुका की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि वापसी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर एजेंसी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1		ताखा	368	2.25
		कुल	1 किता	2.25

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक  (नरेश शर्मा (ब.र.))


2 नाका प्रभारी  06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी


  
क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारा

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी  424/1/1994  
6/9/17

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बारा

2 कानूनगो   
6-9-17

  
(अशोक सार्दा)  
अतिशापी अभियन्ता  
प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न राहक परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला वन्यजन्तु बाराँ द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार गैर वनभूमि (103.40 हे०) वन विभाग के नाम आवंटित की गई है।

तहसील अन्ता गाम सोरसन की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि मानिकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण एवं ब्याधिक प्रकरण विद्यमान नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि सूत्र एजेन्सी से इस कार्यालय द्वारा गौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	गाम	संख्या नं.	रकबा (हेक्टर)
1		सोरसन	1175	19.76
			1173	19.15
		योग	2 किता	38.91

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक *[Signature]*

2 नाका प्रवर्तक *[Signature]*

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी *[Signature]*

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वन्य पटवारी *[Signature]*

2 वनभूमि *[Signature]*

राजीव कपूर  
रूप वन संरक्षक  
बाराँ

*[Signature]*  
राजीव कपूर  
रूप वन संरक्षक  
बाराँ

*[Signature]*

(अशोक सनाइय)  
अतिरिक्त अभियन्ता  
अ.नि.वि. सप्ट शाहाबाद

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी, अन्ता

प्रमाणित किया जाता है कि विभिन्न सड़क परियोजनाओं के अन्तर्गत जिला  
इन्चार्ज बाराँ द्वारा आदेश क्रमांक 720-26 दिनांक 07.02.2017 से निम्नानुसार  
गैर वनभूमि (103.40 है०) वन विभाग के नाम आरंभित की गई है।

तहसील अन्ता ग्राम बिलेण्डी की निम्नसारणी अनुसार वर्णित गैर वनभूमि  
जांचेकी कार्य हेतु उपयुक्त है यह वनभूमि से लगवा है इसमें किसी प्रकार का कोई  
अतिक्रमण एवं न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है यह समस्त गैर वनभूमि यूजर  
एक्वेन्सी से इस कार्यालय द्वारा मौके पर जाकर सम्भाल ली गई है।

क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर)
1	अन्ता	बिलेण्डी	39	13.20
			41	5.00
			43	6.52
			114	5.60
			115	9.58
			116	7.70
			138	10.81
			149	3.63
		योग	योग	62.24

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज लेने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 वनरक्षक 122 (नरेंद्र शर्मा (व.र.))

2 नाका प्रमारी केशिमीबा 06/09/17

3 क्षेत्रीय वन अधिकारी

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

हस्ताक्षर जमीन का चार्ज देने वाले अधिकारी व कर्मचारी

1 हल्का पटवारी

2 कानूनगो

अशोक सनाढ्य  
अधिसापी अभियन्ता  
अ.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

अशोक सनाढ्य  
अधिसापी अभियन्ता  
अ.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

(अशोक सनाढ्य)

अधिसापी अभियन्ता

अ.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

राजीव कपूर  
उप वन संरक्षक  
बाराँ

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- ताखा

अंतिम चौसला आधार सम्बत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.ति. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 105

जिला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 100

काश्तकार का नाम:-

1. उपवन संरक्षक बाराँ वन विभाग हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
368	2.2500	जंगलात	2.2500	0.00		
कुल खसरे - 1	2.2500		2.2500			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

NIC

  
(अशोक सनाइय)  
अधिराधी अभियन्ता  
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

का नाम :- सोरसन

अंतिम चौसला आधार सम्बत :- 2075 - 2078 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

पटवार हल्का :- सोरसन

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.ति. :- सोरसन

क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 617


जिला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग 293 हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1173	19.1500	गै.मु.जंगल	19.1500	0.00		
1175	19.7600	गै.मु.जंगल	19.7600	0.00		
1176	2.0000	गै.मु.जंगल	2.0000	0.00		
1177	18.6600	गै.मु.बरडा	18.6600	0.00		
1527	26.0000	गै.मु.जंगल	26.0000	0.00		
1528	32.8500	गै.मु.जंगल	32.8500	0.00		
1529	31.5000	गै.मु.जंगल	31.5000	0.00		
1530	17.6000	गै.मु.जंगल	17.6000	0.00		
1531	21.0000	गै.मु.जंगल	21.0000	0.00		
1532	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00		
1533	15.0000	गै.मु.जंगल	15.0000	0.00		
1543	12.4900	गै.मु.जंगल	12.4900	0.00		
1544	11.4500	गै.मु.जंगल	11.4500	0.00		
1548	24.3600	गै.मु.जंगल	24.3600	0.00		
1552	20.0000	गै.मु.जंगल	20.0000	0.00		
1781	15.2600	गै.मु.जंगल	15.2600	0.00		
1784	6.3100	गै.मु.जंगल	6.3100	0.00		
1785	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1786	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1787	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1788	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1789	9.0000	गै.मु.जंगल	9.0000	0.00		
1790	13.3400	गै.मु.जंगल	13.3400	0.00		
1791	6.0000	गै.मु.जंगल	6.0000	0.00		
1795	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00		
1796	11.1000	गै.मु.जंगल	11.1000	0.00		
1796/1968	0.9000	गै.मु.जंगल	0.9000	0.00		
1797	8.0000	गै.मु.जंगल	8.0000	0.00		
1798	12.0000	गै.मु.जंगल	12.0000	0.00		
1799	7.5600	गै.मु.जंगल	7.5600	0.00		
2136/1524	20.0600	गै.मु.जंगल	20.0600	0.00		


  
(अशोक सनाइय)

अधिसाधी अभियन्ता  
अ.नि.वि. सण्ड शाहाबाद

21.3800	गै.मु.जंगल	21.3800	0.00	
16.0600	गै.मु.जंगल	16.0600	0.00	
176	16.0600	गै.मु.वरडा	16.0600	0.00
खमरे - 34	502.8500		502.8500	

इह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।  
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

**NIC**

  
(अशोक सनाद)  
अधिसाथी अमियन्ता  
प.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)  
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)  
(देखिये नियम 153 ए)

म का नाम :- विलेण्डी

अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2076 - 2079 जमाबंदी 2076 ( वर्ष 2019 ) से  
स्थायी

पटवार हल्का :- मानपुरा

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

भू.अभि.नि. :- खजूरनाकला

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- अन्ता

खाता संख्या नया :- 78

जिला :- बाराँ

खाता संख्या पुराना :- 78

काश्तकार का नाम:-

1. उप वन सरक्षक बारा वन विभाग हेतु हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए


खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
114	5.8000	गै.मु.बरडा	5.8000	0.00		
115	9.5800	गै.मु.बरडा	9.5800	0.00		
116	7.7000	गै.मु.बरडा	7.7000	0.00		
138	10.8100	गै.मु.बरडा	10.8100	0.00		
49	3.6300	गै.मु.बरडा	3.6300	0.00		
39	13.2000	गै.मु.बरडा	13.2000	0.00		
41	5.0000	गै.मु.बरडा	5.0000	0.00		
42	6.5200	गै.मु.बरडा	6.5200	0.00		
कुल खसरे - 8	62.2400		62.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 14-Sep-2020

**NIC**

  
(अशोक सहाय)  
अधिसापी अमियन्ता  
ज.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

1.	Construction of OPD & Super Speciality Block ( Teaching Hospital), MCH Block and Resident Male & Female Hostel and other allied works at Sy No:116 of Teguru Village, Chikkamagaluru Taluk in Chikkamagaluru District.	16000.00	160.00
<b>Stipulated period for Completion (including monsoon): 18 Months</b>			
<b>Calendar of Events:</b> 1) Last date for receipt of tenders : 14.10.2020 upto 16:00 hrs. 2) Date of Opening of Tenders (Technical Bids):16.10.2020 at 16:00 hrs.			
The tender details can be downloaded from the e-Procurement platform. Tenders shall be submitted electronically at <a href="http://www.eproc.karnataka.gov.in">www.eproc.karnataka.gov.in</a> and Earnest Money Deposit and Tender Processing Fee shall also be paid electronically. Interested eligible contractors shall register on the e-procurement platform to participate in this tender.			
<b>NOTE: 1. All the rights are reserved by the under signed for postponement or cancellation of entire tender process, rejection of bids /individual bid etc., without assigning any reason. 2. Henceforth, any changes in the schedule/contents will not be published through newspapers and further changes will be updated only on e-procurement portal.</b>			
Sd/- Engineer-in-Chief, H&FWD, Engineering Wing, Bengaluru			

outside the state satisfying the policy of Government of tender document cost and EMD subject to the all the offered products are manufactured by information related to tender and bidding process [www.tenders.kerala.gov.in](http://www.tenders.kerala.gov.in)

Sd/- Manager

## NORTH WESTERN RAILWAY

### TENDER NOTICE No.: S/2

The Principal Chief Material Manager, North Western Railway, Near Jawahar Circle, Malviya Nagar, New Delhi, the President of India invites Open E-tenders for the purchase of various materials. All the E-tenders will be closed at 12:00 noon on 14.10.2020.

No.	Tender No.	Brief Description
1	30201977	L TYPE COMPOSITION BLOCKS FOR FREIGHT
2	30201900	BOGIE CENTRE PIVOTS FOR CASNUB BOGIES
3	30202138	POLY RING FOR PU SHOCK
4	30203045	COUPLER BODY WITH WEAR PLAT

CORRIAGE				
No.	Tender No.	Brief Description	Qty	Unit
1.	50191253A	LOW MAINTENANCE LEAD ACID SECONDARY CELL 2V/300AH CAPACITY	4249	Nos.

**Note:-** (1) Interested tenderers should submit details/description/specification/EMD & requested to obtain digital signatures and quote electronically only. (2) For viewing details of tenders and low value tenders, please visit [www.nwr.indianrailways.gov.in](http://www.nwr.indianrailways.gov.in), information please see our [www.nwr.indianrailways.gov.in](http://www.nwr.indianrailways.gov.in), 753-AJ/20

Please join us on [f](https://www.facebook.com/nwr) [i](https://www.instagram.com/nwr) [y](https://www.youtube.com/nwr) [in](https://www.linkedin.com/nwr) [w](https://www.whatsapp.com/nwr)

## NORTH WESTERN RAILWAY

### Introduces 7 Additional Trains

S. No.	Train No.	From	To
1	02281	Jabalpur Dep. : 21:00 Hrs.	Arriv
2	02282	Ajmer Dep. : 15:25 Hrs.	Arriv
3	02403	Prayagraj Dep. : 23:00 Hrs.	Arriv
4	02404	Jaipur Dep. : 15:20 Hrs.	Arriv
5	05909	Dibrugarh Dep. : 09:55 Hrs.	Arriv
6	05910	Lalgarh Dep. : 19:50 Hrs.	Arriv
7	06587	Yashvantpur Dep. : 05:00 Hrs.	Arriv
8	06588	Bikaner Dep. : 22:15 Hrs.	Arriv
9	02481	Jodhpur Dep. : 18:45 Hrs.	Arriv
10	02482	Delhi Sarai Rohilla Dep. : 23:15 Hrs.	Arriv
11	02976	Jaipur Dep. : 19:35 Hrs.	Arriv
12	02975	Mysore Dep. : 10:40 Hrs.	Arriv
13	04724	Bhiwani Dep. : 18:35 Hrs.	Arriv
14	04723	Kanpur central Dep. : 17:25 Hrs.	Arriv

**Note:-** 1. For more details, please visit [www.nwr.indianrailways.gov.in](http://www.nwr.indianrailways.gov.in). 2. Due to COVID-19 pandemic, only reserved class passengers are allowed to travel in these trains. 3. Passengers are requested to take COVID-19 such as wearing masks, social distancing, etc.

Please join us on [f](https://www.facebook.com/nwr) [i](https://www.instagram.com/nwr) [y](https://www.youtube.com/nwr) [in](https://www.linkedin.com/nwr) [w](https://www.whatsapp.com/nwr)

**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य )  
**Ministry of Environment, Forest and Climate Change**  
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024  
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024 Telefax : 2326696, 2324340,  
2324047, 2324025 Email : (Env.)m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofolko@gmail.com

पर सं. 8बी/राज./06/17/2015/एफ.सी./440 दिनांक : 01.10.2018

सेवा में,  
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

**Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/6988/2014**

**विषय :-** Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kulapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. in Baran Forest Division.

**सन्दर्भ :-** अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) जयपुर, राजस्थान का पत्रांक एफ14 ( )/2014/जार् रोहस/एफसीए/प्रमुखसं/3562, दिनांक 18.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक एस.एन./एफ ( )/पीसीसीएफ/एफसीए/रोड/6529, दिनांक 01.06.2018 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.07.2018 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयवर्तित प्रकरण हेतु 2.0 हे. संरक्षित वन भूमि का विना किसी वृक्ष पातन के गैर वाणिज्यिक प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 हे. पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए पश्चा संशोधित) केष्वा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मानवीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिखे गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की विधिवत् राशि, कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि को ऑनलाईन ई-रसीद की छपाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्दार विवरण अर्थात् क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, एन.पी.बी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगा कि यदि एन.पी.बी. की दर में बहाव होती है तो बची हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं प्लानर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
7. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रशासकीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

उपरोक्त सभी शर्तों को परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय  
(सुजेंद्र स्वरुप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

*(Handwritten signature)*  
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
वन विभाग, अरण्य भवन,  
झालना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान



भारत सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय ( मध्य )

Ministry of Environment, Forest and Climate  
Change Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-

226024, Telefax: 2326696, 2324355, 2324355, 2324025

Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं. 8बी/राज./06/17/2015/एफ.सी./440

दिनांक :- 01.10.2018

सेवा में,

अति. प्रधान वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन विभाग, अरण्य भवन,

झालना इस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

Online Proposal No.-FP/RJ/Road/6988/2014

विषय :- Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road  
from Ramgarh-Kalapatta road to Karwala Laxmipura under  
RRSMP in Raj. In Baran Forest Division. एहर

सन्दर्भ :- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), जयपुर, राजस्थान का पत्रांक-  
एफ14( )/2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/3562, दिनांक-18.09.2018.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल  
अधिकारी वन विभाग, राजस्थान का पत्रांक-एस.एम/एफ( )/पीसीसीएफ/एफसीए/रोड/6529. दिनांक -01.06.2018 का आशय गृहण करने  
का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-12.07.2018 द्वारा  
आवश्यक सूचना चाही गई थी। जिसकी अनुपालन आख्या अति. प्रधान मुख्य वन  
संरक्षक सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा  
प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरांत मुझे आपको यह सूचित  
करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित प्रकरण हेतु 2.0 हे. संरक्षित  
वनभूमि का बिना किसी वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति  
निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है :-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 हे. पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जाम की जाएगी।

उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है। इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण



पर्याव  
मंत्रा

Minist  
Char

केन्द्रीय भवन,

Kendriya Bha  
226024, Tel

Email: (Env.) m\_e

पत्र सं. 8बी/राज./06

सेवा में,

प्रमुख सचिव (व

सिविल सचिवाल

राजस्थान शास

ऑन

विषय :- जनपद बारन में 3

2.05 हे. वन भूमि के प्रत्य

सन्दर्भ :- अति. प्रधान

Road)/2014/एफ.सी

महोदय,

उपरोक्त विष

कष्ट करें, जिसके द्वा

धारा (2) के अन्तर्गत

-23 फरवरी 2016 क

प्रकरण में इस क

सूचना चाही गई थी

अधिकारी, राजस्थान

अनुपालना पर विचार

सरकार जनपद बारन

सड़क निर्माण हेतु 2.0

हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृ

1. वन भूमि की वै

2. प्रयोक्ता अभिव

वनभूमि अर्थात् 2.0

आवश्यक धनराशि

2,64,758/- (2.05 हे

उक्त भूमि वन वि

एवं नामान्तरण किया

किया जायेगा। भूमि

विधिवत स्वीकृति प्रदान

3. क्षतिपूरक वृक्षार

मानचित्र नोडल अधिव

4. प्रयोक्ता अभि

202/1995 के अन्तर्ग



कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद जिला बारां

क्रमांक : 746

दिनांक : 9-09-2020

श्रीमान् उप वन संरक्षक,  
बारां।

विषय :- Diversion of 2.0 ha of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta Road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj. In Baran Forest Division.


प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/17-18 9442-44 दिनांक 19.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। यूजर एजेन्सी द्वारा स्वीकृति में अंकित शर्तों को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	शर्त संख्या	विवरण
1	शर्त संख्या 1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अन्डर टैकिंग प्रस्तुत है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2	शर्त संख्या 2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवधिक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंभोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात् 2.0 है० पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवधिक धन राशि 2.0 है० X 164100/- रु. प्रति हैक्टर की दर से राशि 328200/- रु. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है० गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित करा दी गई। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3	शर्त संख्या 3	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। शर्त संख्या 3 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रुपये- (2.0 है० X Rs. 6.26 लाख प्रति है०) की दर से राशि रु. 1252000/- कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक में ऑन लाईन जमा करा दी गई है। (ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई- रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

	<p>जार्ज।</p> <p>(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आषय का वचनबद्धता प्रमाण-पत्र (स्वयं स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई जमा राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।</p>	<p>(ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई राशि के भुगतान को जमा कराने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
शर्त संख्या 4	<p>विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के साथ कर किया आयेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (Bearing) भी लिखनी होगी।</p>	<p>शर्त संख्या 4 के तहत वन क्षेत्र में 4 फिट ऊँचे आर.सी.सी. टिलरों द्वारा सीमांकन कर आवश्यक सूचना अंकित करने हेतु अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>
शर्त संख्या 5	<p>प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।</p>	<p>शर्त संख्या 5 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत है।</p>
शर्त संख्या 6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेंगी।</p>	<p>शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा-निर्देशों की पालना हेतु अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई। प्रति संलग्न है।</p>
शर्त संख्या 7	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।</p>	<p>सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों की अनुपालना में केम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार से स्वीकृति व साख सीमा माह अप्रैल-2019 में प्राप्त हुई। इस कारण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। केम्पा मद में राशि जमा करने के पश्चात् इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 116 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा अनुपालना में त्रुटि पूर्ण कर उपवन संरक्षक कार्यालय बारां भिजवा दी गई थी। तत्पश्चात् सड़क का निर्माण कार्य किया गया।</p>

  
 (अशोक सनादय)  
 अधिशाषी अभियन्ता  
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद  
 सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद